निगरानी कमांक /2012

R-3093-I/12

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर म.प्र.

1. वरदीबाई बेवा रामचन्द्रजी जाट,
2. धन्नालाल पिता हीरालालजी जाट,
निवासीयान ग्राम ढीकवा जिला रतलाम .....प्रार्थीगण

विरुध्द

विरेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंहजी राजपुत,
निवासी ग्राम ढीकवा जिला रतलाम ..... प्रतिप्रार्थी

निगरानी बनाराजगी न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय रतलाम द्वारा प्र.कं. 6/निगरानी/11–12 में पारित आदेश दिनांक 27.12.11 जिसके व्दारा प्रार्थीगण की निगरानी निरस्त की जाकर न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय टप्पा बिलपांक के प्रकरण कमांक 137/अ–12/10–11 अंतर्गत दिनांक 18.06.11 को की गई सीमांकन कार्यवाही में हस्तक्षेप किये जाने से इंकार किया गया।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता

मान्यवर महोदय,

प्रार्थीगण की और से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत है–

प्रकरण के तथ्य

यह कि प्रतिप्रार्थी व्दारा न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय टप्पा बिलपांक के समक्ष एक आवेदनपत्र ग्राम ढीकवा जिला रतलाम में स्थित भूमि सर्वे कमांक 223/2/2 रकबा 1.190 हैक्टर का सीमांकन अधिक्षक भूअभिलेख के माध्यम से करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिस पर से श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय बिलपांक व्दारा अपने यहां प्रकरण कमांक 137/अ–12/2010–11 पंजीबध्द कर सीमांकन हेतु आदेशित किया गया था जिस आदेश के आधार पर अधिक्षक भूअभिलेख एवं पटवारी व्दारा दिनांक

XXIX(a)-BR(H)-11

(2)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3093-एक/12 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री द्वारिकाधीश चौधरी एवं श्री महेश योगी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	